by the tripartite Committee on Conventions at its next session, which is likely to be held at the time of the 25th Session of the Indian Labour Conference.

I.L.O. Conventions and Recommendations

3154. Shri George Fernandes:
Shri Madhu Limaye:
Shri J. H. Patel:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of Conventions and Recommendations adopted by the International Labour Organisation of which India is a founder-member;

(b) how many of the Conventions and Recommendations have been ratified by the Government of India;

(c) whether Conventions 87 and 98 which are universally termed as the basic Conventions are yet to be ratified; and

(d) when Government propose to ratify those Conventions and Recommendations that are yet to be ratified?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) 126 Conventions and 127 Recommendations.

(b) 30 Conventions have been ratified. There is no provision in I.L.O. Constitution for ratification of Recommendations.

(c) Yes.

(d) The mater of ratification of those Conventions which could possibly be ratified by India is reviewed from time to time.

मध्य प्रदेश में डाकघर

3155. **श्री ग० च० दीक्षित :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कितने डाकघर चल रहे हैं और उनमें से कितने डाकघरों में बचत बैंक की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) अगले एक वर्ष में उस राज्य में और कितने डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) क्या नये डाकघरों में टेलीफोन तथा तार की सुविधायें उपलब्ध होंगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मध्य प्रदेश में 5,681 डाकघरों में से 3,313 डाकघरों में बचत बैंक की सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ख) 207, बशर्ते कि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर लगी पाबन्दियां हटा ली जाएं।

(ग) प्रस्तावित नये डाकघरों में से कुछ में टेलीफोन और तार की सुविधाओं की भी व्यवस्था रहे गी। फिर भी इन सुविधाओं की व्यवस्था करना इस बात पर निर्भर है कि विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार ये डाकघर 'श्रेणी वाले स्थानों' पर स्थित हों, अन्यथा प्रस्ताव लाभप्रद हों या उन पर होने वाली हानि की पूर्ति की गारन्टी दी जाए।

सामान्यत: 'श्रेणी वाले स्थान' निम्नलिखित हैं—

(क) **तार सुविधाओं के लिए**— उप-मंडल और तहसील मुख्यालय; 5,000 से अधिक जन संख्या वाले स्थान; ऐसे स्थान जहां कम से कम सबइंस्पेक्टर, पुलिस के पद के अधिकारी के कार्यभार के अधीन पुलिस स्टेशन हों और खंड मुख्यालय।

(ख) **सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए** —जिला और उप-मंडल मुख्यालय वाले नगर; 20,000 कैसे अधिक जनसंख्या वाले स्थान ; तहसील और समकक्ष स्तर मुख्यालय वाले नगर।